अपील सूचना अधिकार संख्या 148/2016 अनवानी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल निवासी गांव अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

16–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट (भू.अ.) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

> विषयः–भू प्रबन्ध आयुक्त जयपुर के पत्र जो भू प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर को संबोधित है कुछ आदेशो के साथ प्रति आपको दी गई है का पत्र विविध/09–10/611 दिनांक 05.03.10
>
> इस पत्र को जारी हुए छः साल से ज्यादा हो गये है। इस पर संबंध अधिकारियों/कार्यालयो द्वारा जो कार्यवाही की, के पत्राचार/निर्देश इत्यादि की नकल सूचना दी जावे।

अपीलार्थी का आवेदन पत्र शाखा प्रभारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित किया गया है। यदि आवेदन पत्र का संबंध उनके कार्यालय से न हो तो संबंधित विभाग को भिजवाने के लिए निदेशित किया गया है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि श्रीमान भू प्रबन्ध आयुक्त राज0 जयपुर के पत्रांक भूप्रआ/समु./भूकर/11/2/3/ विविध/09–10/611 दिनांक 05.03.2010 द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार, सूरतगढ को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्रांक पर उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है उसकी सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के उक्त प्रतिवेदन से प्रतीत नही होता है कि यदि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का संबंध उनके कार्यालय से नही था तो उनके द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अन्तरित किया गया है अथवा नही? जबकि सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के उक्त पत्र दिनांक 23.08.17 में स्पष्ट रूप से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को लिखा गया है कि यदि आवेदन पत्र का संबंध उनके विभाग से न हो तो संबंधित विभाग को भिजवाया जावे।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सलंग्न पत्र दिनांक 05.03.2010 पर की गई कार्यवाही की सूचनाएं उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है जबकि अपीलार्थी ने अपने प्रा0 पत्र दिनांक 16.08.2016 के साथ प्रेषित भू–प्रबन्ध आयुक्त राज0 जयपुर के पत्र दिनांक 05.03.2010 जो मूल रूप से भू–प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर को संबोधित है और जिसकी प्रति जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर व तहसीलदार, सूरतगढ़ को प्रेषित है से संबंधित सूचनाएं चाही है। चूंकि इस पत्र दिनांक 05.03.10 का संबंध जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार, सूरतगढ से है। इसलिए अपीलार्थी के सूचना का अधिकारी अधिनियम के प्रा0 पत्र एवं उसके साथ प्रेषित भू–प्रबन्ध आयुक्त राज0 जयपुर के पत्र दिनांक 05.03.2010 की प्रति प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर व तहसीलदार, सूरतगढ़ को भेजकर आदेश दिये जाते है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर भीतर उक्त पत्र 05.03.2010 के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना अपीलार्थी को उसके प्रा0 पत्र 16.08.2016 के सन्दर्भ में नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे।

उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ/प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर व तहसीलदार, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official